RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. **16 / 2024** **GCMS NO 2024/187**

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थीगण–
1. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री प्रकाशचन्दजी कौम श्रीमाली, निवासी समदडी, तहसील समदडी, जिला बालोतरा।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदडी तहसील सिवाना। 2. श्री सुरेश कुमार पुत्र सांवलसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी जेठन्तरी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदडी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुनीर अली पठान, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 25.11.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत समदडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 के विरूद्ध दिनांक 04.12.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार पुत्र सांवल सिंह राजपुरोहित के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157 के तहत मौजा समदडी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 918 वर्गफुट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 24 फीट भजनलाल सोनी, बदिशा दक्षिण में 54 फीट व ब्रज मोहन, पूर्व में 18 फीट गली एवं पश्चिम में 30 फीट व ब्रहामण बगेची आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि गौजा समदड़ी के आबादी क्षेत्र मे अनुबंध 1946 के बंटवाडा में स्पष्ट अंकित किया गया कि बेरा धर्मादा का पेचका है जो गैर मुकमकिन आबादी का है। पडोस भी प्रार्थी ने असत्य अंकित किये गये है। उत्तर मे भजनलाल सोनी का मकान नहीं होकर खाली भुमि है। पश्चिम मे कुआ, ब्रहामणो की बगीची का आम रास्ता है। वादग्रत भुमि पट्टा दिनांक 15.02.2002 को जारी हुआ। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य अंकित किये गये है 1946 मे संपति को खरीद जोगराज देवदत ने खरीद की, निजी घर कुआ व बगेची की भुमि से अलग है। निगरानी के आधारों के पद संख्या 2 गलत व मिथ्या रूप से अंकित किया गया है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 का संबंध में उसने अपनी खरीद सुदा भुमि का आबादी भुमि में संपरिर्तन कर विधिवत रूप से आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आलोच्य पट्टा जारी करवाया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के अचल संपति आबादी पट्टा सुदा भुमि में किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 2 की संपति का पट्टा विधिनुसार पंजियन सुदा है, जिसको निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। प्रार्थी का कोई हित अप्रार्थी संख्या 2 की संपति में निहित है, तो प्रार्थी को दिवानी न्यायालय में ही कार्यवाही संस्थित कर सकता है। आबादी भुमि की संपति के संबंध में राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के म्याद कानून के तहत देरी को क्षमा याचना करने का कोई प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र निगरानीकार ने निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर व क्षेत्राधिकार से बाहर होने से खारीज योग्य है।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व लिखित बहस में यह कथन किया कि आबादी क्षेत्र समदडी में बगौहल्ला नई ब्रम्हपुरी में जोगराज व्यास व उसके भाईयो की एक पैतृक जायदाद आयी हुई है, जिसमें से एक भूखण्ड सांवलसिंह पुत्र रूपसिंह कौम राजपुरोहित साकिन जेठन्तरी ने जरीये इकरारनामा दिनांक 04.07.2001 के जोगराज व्यास से खरीद किया, जिसके पडौस उत्तर में भजनलाल सोनी का मकान, दक्षिण में ब्रजमोहनजी व्यास का मकान, पश्चिम में मुझ विक्रेता जोगराज स्व. कालूरामजी पुत्र स्व. पुरूषोतम के पुत्र भवानीशंकर व लक्ष्मणजी की जमीन हमारी पैतृक जायदाद, पूर्व में आम रास्ता आया हुआ है। उपरोक्त आलोच्य खरीदसुदा भूखण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) हासिल करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार पुत्र सांवलसिंह राजपुरोहित ने दिनांक 15.01.2001 को ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 05.02.2002 को अप्रार्थी संख्या 02 के नाम नियम 157 क के तहत नियमन कर, पट्टा जारी किया गया। वादग्रस्त जायदाद अप्रार्थी संख्या 02 सुरेश कुमार के पिता सांवलसिंह पुत्र रूपसिंह कौम राजपुरोहित निवासी जेठन्तरी द्वारा जोगराज व्यास से जरीये इकरारनामा दिनांक 04.07.2001 के खरीद की थी, लेकिन अपंजीकृत बैचान इकरार से अचल जायदाद से स्वामित्व के हक व कब्जे का हस्तान्तरण नही होता है। नियमानुसार अचल जायदाद से स्वामित्व के हक का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड बैचाननामा के जरीये ही किया जा सकता है। इस संबंध में Supreme Court: Suraj Lamp & Industries Pvt- Ltd- Vs State of Haryana (2011)1 SCC 656 में यह स्पष्ट किया गया है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 02 के पास

जिला कलक्टर
बालोतरा

वादग्रस्त भूखण्ड पर स्वामित्व के हक बाबत रजिस्टर्ड दस्तावेज नही था, इकरारनामा भी उसके पिता सांवलसिंह के नाम था, जो जीवित है। फिर भी नाबालिग अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 15.01.2001 को विक्रय विलेख प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 ने विक्रय विलेख (पट्टा) हेतु आवेदन दिनांक 15.01.2001 को उक्त संपत्ति के सांवलसिंह के पक्ष में खरीद के पूर्व किया गया है, जो स्वामित्व प्राप्ति पूर्व आवेदन होने से अवैध है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 02 सुरेश कुमार पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन के वक्त नाबालिग (आयु 16 वर्ष 11 माह 05 दिन का) था, इस बात की पुष्टि अप्रार्थी संख्या 02 के स्वयं के कथन/प्रस्तुत लिखित बहस के पैरा क्रमांक 03 में पट्टा जारी दिनांक को सुरेश कुमार 18 साल और 05 दिन का था। जिससे यह स्पष्ट जाहिर है कि वक्त प्राप्त करने पट्टा हेतु आवेदन सुरेश कुमार नाबालिग था और विधिक रूप से नाबालिग ऐसा आवेदन करने और पट्टा प्राप्त करने हेतु सक्षम नही था। Mohori Bibee vs Dharmodas ghose (1903) khan gul vs lakha singh (1928) तथा Indian Contract Act] 1872 की धारा 11 के अनुसार, नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध या आवेदन कानून शून्य (void ab initio) होता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार Githa hariharan vs Reserve Bank of India (AIR 1999 SC 1149) निर्णय अनुसार नाबालिग के अधिकार केवल उत्तराधिकार की मृत्यु उपरान्त ही लागू होते हैं, चुकि सांवलसिंह अभी जीवित हैं, इसलिए सुरेश कुमार का कोई अधिकार नहीं बनता। अतः अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा विधि विरूद्ध होने से खारीज योग्य है।

6. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व लिखित बहस में यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 20.07.2001 दिनांक 20.04.2001 को आदेशिका कायम की कि प्रार्थी श्री सुरेशकुमार पुत्र सांवलसिंह राजपुरोहित निवासी जेठन्तरी ने अपने खरीद सुदा आबादी भूमि प्लोट का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 ने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा नहीं करवाई तथा न ही अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न किया है, नक्शा का प्रपत्र खाली है। नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचो की कोई समिति प्रतिनियुक्त बाबत कोई आदेशिका नही है, तथा नियम 147 व नियम 148 की कार्यवाही भी अपूर्ण व अस्पष्ट है। मिसल दिनांक 30.05.2001 को रखी गयी, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मौका कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हो गयी, लेकिन मौका रिपोर्ट कौनसी तारीख को ग्राम पंचायत के कार्यालय में पेश हुई, का कोई हवाला उन आदेशिकाओ में नही है, फिर पत्रावली पर दिनांक 31.05.2001 की आदेशिका लिखी गयी, जिसमें अन्तिम निर्णय हेतु पंचायत बैठक में रखी जावे। वादग्रस्त जायदाद अप्रार्थी संख्या 02 के पिता सांवलसिंह द्वारा दिनांक 04.07.2001 को खरीद करना बताया गया। वादग्रस्त जायदाद में अप्रार्थी संख्या 02 का कोई हित अधिकार नही था, फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 ने दिनांक 15.01.2001 को लिखित प्रार्थना पत्र/पट्टा आवेदन पत्र अप्रार्थी संख्या 01 के कार्यालय में पेश किया। मौका कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि मे पुराना घर बना हुआ होने तथा पुराना कब्जा होने का कोई हवाला नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 के पिता सांवलसिंह द्वारा वादग्रस्त जायदाद जोगराज व्यास से दिनांक 04.07.2001 को खरीद जरीये इकरार की

जिला कलक्टर
बालोतरा

पत्रावली अप्रैल 2001 कायम कर दी जाती है, लेकिन खरीद के पूर्व ही आलोच्य पट्टा संबंधित पत्रावली पर तमाम कार्यवाही कर दी जाती है, जो पूर्णतया संदेहास्पद है। जायदाद के खरीद के 07 माह के भीतर भीतर ही अप्रार्थी संख्या 02 को बिना किसी वैद्य दस्तावेज के भूमि विक्रय/नियमन करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दे दिया जाता है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 02 का पुराना कब्जा व नियम 157 क के तहत पुराने गृह होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत लिये गये। आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीय रूपये की राशि जमा नहीं करवायी। नक्शा प्रपत्र खाली है। जिससे यह कहना स्पष्ट नही है कि कौनसी भूमि का निरीक्षण किया गया। पंचायती राज नियमावली 1996 नियम 146 के अनुसार भूमि निरीक्षण हेतु तीन पंचों की समिति का गठन आवश्यक है। पत्रावली से पता चलता है कि ऐसी कोई समिती गठित नहीं हुई। Rajasthan High Court: Babulal vs State of Rajasthan (2012) में यह स्पष्ट किया गया कि स्थल निरीक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाए तो आदेश शून्य हो जाएगा। तीनो पंचो की समिति प्रतिनियुक्त बाबत कोई आदेशिका ही नही है। पंचायती राज नियमावली 1996 के नियम 148 के अनुसार पैतृक संपत्ति के विक्रय के लिए सार्वजनिक नोटिस चस्पा एवं प्रचार आवश्यक है, जिससे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति अभिलेखित हो। इस मामले में सार्वजनिक नोटिस का न तो समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ और न ही पंच रिपोर्ट में प्रतिष्ठित गवाहों के हस्ताक्षर हुए। State of Rajasthan vs Bhagwan ram (1985) में उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि विधि अनुसार नोटिस जारी न होने पर विक्रय आदेश निरस्त किया जाएगा। आपत्ति नोटिस प्रपत्र 22 पर दो व्यक्ति का हवाला, रूबरू और चस्पा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही है। Rajasthan High Court] Ram Chandra vs State of Rajasthan (2008) में कहा गया है कि मौका निरीक्षण में पारदर्शिता न हो तो आदेश अवैध होगा। आलोच्य आदेश दिनांक 05.02.2002 को करीब 09 माह की देरी के बाद पारित किया गया। मौका रिपोर्ट कमेटी पेश की है, उसमें पुराने कब्जा के आधार पर पट्टा जारी किया गया, जबकि पुराने गृह होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी। अप्रार्थी संख्या 02 ने यह कथन किया कि उक्त निगरानी सुनने का अधिकार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को नहीं है, तो अप्रार्थी संख्या 02 ने निगरानी प्रकरण संख्या 08/2024 रजिस्टर्ड पट्टे की निगरानी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष क्यो पेश की। अप्रार्थी संख्या 02 ने एक शपथ पत्र दिनांक 25.06.2001 का स्व. जोगराजजी व्यास के कूटरचित हस्ताक्षर सुदा पेश किया है। उक्त शपथ पत्र दिनांक 25.06.2001 को जयपुर से श्री बाबुसिंहजी द्वारा खरीद किया गया। जबकि स्व. जोगराज जी स्वयं जोधपुर के निवासी थे, तो वे उक्त शपथ पत्र जयपुर से श्री बाबुसिंह जी के हस्ते क्यों खरीदवाते ? उक्त शपथ पत्र पर स्व. जोगराजजी के कुटरचित हस्ताक्षर किये गये, तथा शपथ पत्र बायतु से नोटेरी करवाया गया। इसके विपरित स्व. जोगराजजी के असल हस्ताक्षर सुदा एक अन्य आठ पृष्ठ का असल इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 02 की पट्टा फाईल के साथ संलग्न है तथा स्व. जोगराजजी सरकारी कर्मचारी थे तो उनके हस्ताक्षरों में इतनी भिन्नता हो नहीं सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने आप को सदोष लाभ पहुंचाने के आशय से षड्यन्त्र पूर्वक कूटरचना करते हुए अपने मनगढ़त तथ्यों को अंकित कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया है। उक्त शपथ पत्र दिनांक 25.06.2001 को इकरारनामा के रूप में षंडयत्र व कुटकरण के तौर पर उपयोग में लिया जा रहा है, तथा शपथ पत्र में उपर से पक्ति संख्या में तहसील समदडी लिखा हुआ है, जबकि तहसील

जिला कलक्टर
बालोतरा

समदडी का गठन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–2013 में किया गया है। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त शपथ पत्र दिनांक 25.06.2001 कुटरचना की मंशा से वर्ष 2013 के बाद फर्जी स्टाम्प खरीद कर, उस फर्जी हस्ताक्षर कर, बनवाया गया है। जिस पर पडौसियान व भूखण्ड माप का कही जिक नहीं है। इस कुटरचित व फर्जी स्टाम्प के बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्ध एक फौजदारी प्राथमिकी पुलिस थाना समदडी में दी जा चुकी है, जो अनुसंधानरत है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना को स्वीकार कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों व संबंधी न्यायनिर्णयों के आलोक में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जारी पट्टा पत्रावली संख्या 35/2001 में प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.02.2002 को पुरानी आबादी भूमि नियमन करने का जारी किए गए प्रस्ताव तथा उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में की गई कार्यवाही को निरस्त व रद्द/निरस्त करने का आदेश फरमाव।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत समदडी द्वारा मिसल संख्या 35/20.03.2001 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 15.02.2002 में पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.02.2002 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत समदडी के पत्र में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत कार्यायल में उपलब्ध है एवं उक्त पट्टे संबंधी पट्टा बुक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। अधिनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल आदेशिका का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 को पंचायतीराज के नियम 157 (क)(ख) के तहत जारी होना बताया गया, जबकि उक्त आलोच्य पट्टा प्रारूप 23 नियम 167(1) के तहत जारी होना पाया गया। साथ ही दिनांक 05.02.2002 को जारी आदेशिका में नियम 157 क,ख के तहत जारी किया, होना बताया गया तथा मौका रिपोर्ट में पंचायत नियम 157 के तहत जारी कर दिया जाए, अंकित होना बताया गया। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त आलोच्य पट्टा पंचायतीराज अधिनियम के किस नियम के तहत जारी किया गया है। इसके अलावा पत्रावली के संलग्न के साथ नजरी नक्शा भी खाली होना पाया गया। आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस प्रकार पट्टा मिसल एवं पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर अपूर्ण अंकित दिनांक के अभाव में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित जिक नहीं किया गया है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत समदडी द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 जारी किया गया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है। इस प्रकार आलोच्य पटटा संख्या 28 दिनांक 15.02.2002 को जारी किया है, निरस्त करते रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत प्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 को निरस्त करते हुए प्रकरण विकास अधिकारी, समदड़ी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम मे विहित प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करे।

9. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(सुशील कुमार)
बालोतरा
जिला कलक्टर, बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा